



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220043  
CG-DL-E-20062020-220043

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1760]  
No. 1760]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISHTHA 29, 1942

## पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1978(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रमनमंडी-बहादुरगढ़ पाइपलाइन के आई.पी.एस बरवाला से हिसार नवीन डिपो तक के पाईपलाइन परियोजना के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तहसीलदार- हिसार, हरियाणा सरकार को श्री विनय चौधरी, अधिकृत बाया एस ओ सं.3333(अ) दिनांक 3 जुलाई 2018 के स्थान पर प्राधिकृत करती है। यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025/(11)/12/2018-ओआर.1/ई-25587]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2020

**S.O. 1978(E).**—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the central Government hereby Authorizes Tehsildar- Hisar, Government of Haryana to perform the functions of Competent Authority for extension of HPCL's Ramanmandi-Bahadurgarh Pipeline from IPS, Barwala to Hisar New Depot under the said act, within the territory of Haryana in place of Sh. Vinay Chaudhary authorized vide notification number S.O. 3333(E) dated 3rd July, 2018. This is effective from the date of notification.

[F. No. R-11025(11)/12/2018-OR-I/E-25587]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.